प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का आध्याय–1 एवं 2 में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं की जॉच में उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ शामिल है । जहाँ भी आवश्यक हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है ।

3. वित्तीय प्रतिवेदन पर अध्याय–3 में वर्तमान वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति को प्रस्तुत करता है ।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा की प्राप्तियों और विभिन्न विभागों में लेन–देन संव्यवहार और वैधानिक निगमों, बोर्डों व सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन पर प्रतिवेदनों और राजस्व प्राप्तियों के अवलोकन पर प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया गया है ।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।